

पत्र संख्या-ज्वा0 कमि0 वि0अनु0शा0-मु-03-स0प0/2011-12/ टैक्स आडिट /

1314030/28-6-13

452

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वि0अनु0शा0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 21 जून , 2013

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर / एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0 / अपील/ उ0 न्या0 कार्य/ सवोच्च न्या0 कार्य)/
ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स आडिट / वि0अनु0शा0 / कार्यपालक/ उच्च न्यायालय कार्य/ सवोच्च न्यायालय कार्य)/
डिप्टी कमिशनर / असिस्टेन्ट कमिशनर/ वाणिज्य कर अधिकारी,
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की धारा-44 एवं वाणिज्य नियमावली के नियम 43 के अन्तर्गत व्यापारियों के टैक्स आडिट करने का प्राविधान किया गया है। टैक्स आडिट किये जाने के संदर्भ में टैक्स आडिट मैनुअल तैयार करते हुये इसकी प्रतियाँ समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर को मुख्यालय के पत्र दि0 09-11-2010 से वितरित की गयी है। टैक्स आडिट मैनुअल विभागीय वेब साइट पर भी उपलब्ध है।

2- टैक्स आडिट व्यवस्था को और प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से मुख्यालय के पत्र संख्या-ज्वा0 कमि0-वि0अनु0शा0(मु0)-3/स0प0/ 12-13/ टैक्स आडिट / 1213095 दिनांक 05-03-2013 जारी किया गया है जो वेब साइट पर भी उपलब्ध है।

3- टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय -5 प्रस्तर -8 के क्रमांक-4 के अनुसार टैक्स आडिट टीम द्वारा व्यापारी के टैक्स आडिट के निष्पादन के 90 दिन के अवधि के अन्दर टैक्स आडिट रिपोर्ट तैयार करके कर निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम में टैक्स आडिट की व्यवस्था प्राविधानित किये जाने का मूल उद्देश्य व्यापारियों द्वारा दाखिल किये जा रहे रिटर्न की सत्यता एवं मांगे जा रहे क्लेम की अनुमन्यता की जाँच किया जाना है।

4- मुख्यालय स्तर पर प्राप्त विवरण पत्रों के आधार पर यह पाया गया है कि चयनित किये गये व्यापारियों की संख्या के सापेक्ष निस्तारण की कार्यवाही नगण्य है। आप अवगत है कि प्रभावी एवं नियमित रूप से टैक्स आडिट का जाँच कार्य सम्पादित होने पर राजस्व की प्राप्ति तत्काल संभव हो सकेगी। इसके दृष्टिगत टैक्स आडिट में चयनित वादों के निस्तारण हेतु मानक का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इस तथ्य के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2013-14 में माह जुलाई से माह नवम्बर 2013 तक टैक्स आडिट हेतु चयनित व्यापारियों की संख्या का 16 प्रतिशत प्रतिमाह तथा माह दिसम्बर 2013 में 20 प्रतिशत निस्तारण हेतु मानक निर्धारित किया जाता है।

चयनित किये गये समस्त व्यापारियों की कर निर्धारण पत्रावलियों का टैक्स आडिट माह दिसम्बर 2013 तक पूर्ण हो जाना चाहिये तथा प्रत्येकदशा में कर निर्धारण अधिकारियों को टैक्स आडिट रिपोर्ट माह जनवरी 2013 तक मैनुअल के अन्तर्गत परिशिष्ट 6 में निर्धारित प्रारूप में प्रेषित कर दी जाये।

कृपया निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें / करायें।

Mu 21.6.13
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष, वाणिज्य कर, अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0 प्र0 लखनऊ।
- 4- संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 5- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 6- वि0अनु0शा0 अनुभाग को 15 प्रतियाँ अतिरिक्त।

ज्वाइन्ट कमिशनर (वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय।